

रकबा आदिवा दिनांक 29/06/2022 दया शर्मा

मण्डल:- अयोध्या, जनपद:- बाराबंकी, तहसील:- नवाबगंज

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 21085/2021

वैभव इन्फ्रा एंड

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2021412480121085

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 29/06/2022

अंतिम आदेश

तारखे - 29/4/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उपरो राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत वैभव इन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्शन द्वारा डायरेक्टर संजय कुमार वर्मा पुत्र रामगरीब वर्मा निवासी प्रभुपुर जिला चन्दौली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.02.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.06.2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00917 की गाटा संख्या 403 रकबा 0.038हे0 व गाटा संख्या 404 रकबा 0.069हे0 व गाटा संख्या 405 रकबा 0.145हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.252हे0 माल गुजारी रू0 6.90 भूमि स्थित ग्राम तीरगांव परगना सतरिख तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 14.06.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी के नाम खतौनी फ0 वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00917 की गाटा संख्या 403 रकबा 0.038हे0 व गाटा संख्या 44 रकबा 0.069हे0 व गाटा संख्या 405 रकबा 0.145हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.252हे0 माल गुजारी रू0 6.90 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

1-धारा-80(2)उपरोरा0सं0 2006 के अन्तगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम तीरगांव परगना सतरिख तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- वैभव इन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्शन द्वारा डायरेक्टर संजय कुमार वर्मा पुत्र रामगरीब वर्मा निवासी प्रभुपुर जिला चन्दौली।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00917/0.252हे0/रू0 6.90

गाटा संख्या/आवेदित अंश:- गाटा संख्या 403 रकबा 0.038हे0 व गाटा संख्या 404 रकबा 0.069हे0 व गाटा संख्या 405 रकबा 0.145हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.252हे0

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 7056-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 7056-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 0.252हे0 पर आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उपरो राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सकिल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 7056-00 चालान संख्या आर0ए0जे0 220019848/29.06.2022 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान संख्या एफ0एन0 00057/23.06.2022 व स्टाम्प शुल्क रू0 7056-00/24.06.2022 का ई-स्टाम्प संख्या आई0एन0-यू0पी0-26005792708594यू0 दाखिल किया गया है।

5- चूंकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा



शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में वादी द्वारा स्टाम्प संख्या 50ए0ई0 222193/30.12.2021 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा स्टाम्प संख्या 50ए0ई0 222193/30.12.2021 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नहीं हैं।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम तीरगांव परगना सतरिख तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00917 की गाटा संख्या 403 रकबा 0.038हे0 व गाटा संख्या 404 रकबा 0.069हे0 व गाटा संख्या 405 रकबा 0.145हे0 कुल 03 कित्ता कुल रकबा 0.252हे0 माल गुजारी रू0 6.90 को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) 30प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तगत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.252हे0 गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 7056-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 7056-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तगत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम तीरगांव परगना सतरिख तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00917 पर वैभव इन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्शन द्वारा डायरेक्टर संजय कुमार वर्मा पुत्र रामगरीब वर्मा के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 403 रकबा 0.038हे0 व गाटा संख्या 404 रकबा 0.069हे0 व गाटा संख्या 405 रकबा 0.145हे0 कुल 03 कित्ता कुल रकबा 0.252हे0 माल गुजारी रू0 6.90 को धारा-80(2) 30प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तगत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) 30प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो 30प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक-29 जून, 2022

(Handwritten signature)
29/06/2022
(सुमित यादव)

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
नवाबगंज-बाराबंकी।



दायाँ हाथ का नक्शा 1490
किस प्रकार से स्थापित किया गया 20/6/22
गरीब लेवारी 01/7/22
गदाद कोर्ट फीस 2-7-88
गदाद रक 435 20/6/22
नक्शा नकल नवीन
01/7/22

(Handwritten signature)
TRUE COPY
Commissioner's Office
01/7/22